सं. 19013/1/2025/केहिप्रसं/ 967-1667

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

दिनांक : 13 अक्तूबर, 2025

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय
2. विभागाध्यक्ष, सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/उद्यम/स्वायत्तशासी तथा सांविधिक निकाय/ राष्ट्रीयकृत बैंक आदि
3. राजभाषा सेवा के सभी अधिकारी

विषय : **संघ सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, स्वायत्तशासी/सांविधिक निकायों, निगमों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वर्ष 2026 में चलाए जाने वाले हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के अल्पकालिक गहन ऑफलाइन (फिजीकल) प्रशिक्षण कार्यक्रम।**

महोदय/महोदया,

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत वर्ष 2026 में हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि के अल्पकालिक गहन ऑफलाइन (फिजीकल) प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने हैं। हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं –

प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी

हिंदी आशुलिपि

पाठ्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण की अवधि	पात्रता	हिंदी में योग्यता
हिंदी आशुलिपि	अनुलग्नक I के अनुसार	केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। **अनिवार्य:** सभी वर्ग के अंग्रेजी आशुलिपिकों, वैयक्तिक सहायकों, निजी सचिवों हेतु। **स्वैच्छिक:** अवर श्रेणी लिपिकों/कनिष्ठ सचिवालय सहायकों/टंककों हेतु *	हिंदी के साथ मैट्रिक या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ परीक्षा।

* हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण जानने वाले अवर श्रेणी लिपिकों/कनिष्ठ सचिवालय सहायकों/टंककों को भी हिंदी आशुलिपि कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर नामांकित किया जा सकता है और कक्षाओं में स्थान रिक्त होने पर प्रवेश दिया जा सकता है, बशर्ते संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाए कि उस कर्मचारी की हिंदी आशुलिपि में प्रवीणता का कार्यालय के कार्य में उपयोग किया जाएगा। ऐसे कर्मचारी हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ के हकदार नहीं होंगे।

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण

पाठ्यक्रम का नाम	**प्रशिक्षण की अवधि**	**पात्रता**	**हिंदी में योग्यता**
हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण	**अनुलग्नक I के अनुसार**	केवल उन्हीं अधिकारियों/ कर्मचारियों को कंप्यूटर पर हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। **<u>अनिवार्य</u> :** सभी अंग्रेजी टंककों/कनिष्ठ सचिवालय सहायकों/ अवर श्रेणी लिपिकों, डाक विभाग में डाक सहायकों एवं कार्यालय सहायकों, रेल डाक सेवा में छंटाई सहायकों, कार्यालय सहायकों, दूरसंचार विभाग में दूरसंचार सहायकों, आयकर तथा कस्टम एवं एक्साइज विभाग में कर सहायकों, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटरों, डाटा एंट्री ऑपरेटरों आदि के लिए, इसके अलावा इसमें ग्रुप 'ग' के वे कर्मचारी भी शामिल होंगे जो इसी प्रकृति का कार्य करते हैं और जिनके भिन्न पदनाम और भिन्न वेतनमान हैं। **<u>स्वैच्छिक</u> :** 1. वर्तमान में सहायकों/सहायक अनुभाग अधिकारियों, उच्च (प्रवर) श्रेणी लिपिकों/वरिष्ठ सचिवालय सहायकों तथा हिंदी अनुवादकों/ कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों/ वरिष्ठ अनुवाद अधिकारियों (अराजपत्रित) के लिए हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, अत: इन्हें हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है और इन्हें कक्षाओं में रिक्त स्थान होने पर प्रवेश दिया जा सकता है। ये कर्मचारी हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सभी प्रकार के वित्तीय लाभ/वित्तीय प्रोत्साहन आदि के हकदार होंगे, जैसे कि - वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार एवं एकमुश्त पुरस्कार आदि। 2. सभी वर्ग के अधिकारियों, जिनके लिए हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, किंतु उपयोगी है, को स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है और स्थान उपलब्ध होने पर उन्हें कक्षाओं में प्रवेश दिया जा सकता है, किंतु वर्तमान में वे अधिकारी प्रशिक्षण के उपरांत हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की परीक्षा पास करने पर किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ/वित्तीय प्रोत्साहन आदि के हकदार नहीं होंगे, जैसे कि वैयक्तिक वेतन, नगद पुरस्कार एवं एकमुश्त पुरस्कार आदि।	हिंदी के साथ मिडिल (आठवीं) या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण परीक्षा।

- केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान और हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एक समान हैं, परंतु ये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अल्पकालिक गहन होने के कारण इनकी नियमित रूप से पूर्णकालिक कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। **इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रतिदिन प्रात: 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।**
- **यह उल्लेखनीय है कि राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित किया जाने वाला "कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने के लिए बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम" इस हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण प्रशिक्षण का विकल्प नहीं है। अतः ऐसे कर्मचारियों को, जिन्होंने उक्त "बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण" प्राप्त किया है, इस आधार पर हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण प्रशिक्षण से कोई छूट नहीं दी जाएगी।**

उप संस्थान

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि के अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली के अतिरिक्त **कोलकाता, सिकंदराबाद, बेंगलुरु तथा मुंबई** उप संस्थानों में भी चलाए जाते हैं। **इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।**

प्रवेश का आधार

- पाठ्यक्रम में प्रवेश **'प्रथम आओ, प्रथम पाओ'** के आधार पर दिया जाएगा।

वित्तीय प्रोत्साहन

- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षा पास करने पर, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को निर्धारित शर्तें पूरी करने पर 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है। जिन आशुलिपिकों की मातृभाषा हिंदी नहीं है, उन्हें हिंदी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर दो वेतनवृद्धियों के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।

- **राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 01 अक्तूबर, 2025 के कार्यालय ज्ञापन संख्या- 21034/08/2017-रा.भा(प्रशि.) के अनुसार अराजपत्रित एवं राजपत्रित दोनों वर्ग के आशुलिपिक हिंदी आशुलिपि परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करने पर वैयक्तिक वेतन पाने के हकदार होंगे।**

- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त कर परीक्षा पास करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारी अधोलिखित तालिका के अनुसार नगद पुरस्कार पाने के भी हकदार होंगे। वैयक्तिक वेतन/नगद पुरस्कार आदि का भुगतान संबंधित कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है:–

हिंदी आशुलिपि

1	95 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	₹ 6000/-
2	92 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 4000/-
3	88 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 92 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 2000/-

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण

1	97 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	₹ 6000/-
2	95 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 97 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 4000/-
3	90 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 2000/-

परीक्षा शुल्क

- ये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निःशुल्क हैं, किंतु केंद्र सरकार के **निगमों/निकायों/उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों** आदि के कर्मचारियों के लिए प्रति कर्मचारी ₹100/- की दर से परीक्षा शुल्क देय है। शुल्क का भुगतान अनुलग्नक-III पर उल्लिखित विधि के अनुसार **"उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना", नई दिल्ली/Deputy Director (Exam.), Hindi Teaching Scheme, New Delhi** को ऑनलाइन किया जा सकता है।

छात्रावास

नई दिल्ली स्थित संस्थान में सीमित संख्या में प्रशिक्षार्थियों के ठहरने के लिए छात्रावास की व्यवस्था है, लेकिन नई दिल्ली से बाहर स्थित उप संस्थानों में छात्रावास की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए वहाँ प्रशिक्षार्थियों को अपने ठहरने आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

नामांकन विधि

- **केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली तथा कोलकाता, सिकंदराबाद, बेंगलुरु एवं मुंबई स्थित उप संस्थानों के पते अनुलग्नक-II में दिए गए हैं।**
- अनुरोध है कि अपने कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम यथाशीघ्र इस कार्यालय को तथा अपने क्षेत्र में स्थित उप संस्थान के प्रभारी सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि) को सीधे भिजवाने का कष्ट करें। **कृपया उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित करें जिन्हें पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निश्चित रूप से कार्यमुक्त किया जा सके।**
- पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद किसी भी परिस्थिति में कर्मचारी को सत्र के मध्य में कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। **कृपया ध्यान रखें कि संबंधित केंद्र के सहायक निदेशक से पुष्टि प्राप्त होने पर ही अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए।**
- **इस संबंध में पत्र व्यवहार करते समय अपने कार्यालय का पूरा पता, दूरभाष संख्या और email का पता अवश्य लिखें, जिससे संपर्क करने में इस कार्यालय को सुविधा हो।**

विशेष

- सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि इस परिपत्र को **सभी** संबद्ध कार्यालयों/इकाइयों/शाखाओं में शीघ्र परिचालित करवाने का कष्ट करें।
- यह सुनिश्चित करना संबंधित कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का दायित्व है, कि कार्मिकों को अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए, नामित कर्मचारी कक्षाओं में निश्चित रूप से प्रवेश लें, कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें और अनिवार्य रूप से परीक्षा में भी सम्मिलित हों, ताकि प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सरकारी संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग हो सके और निर्धारित समय में प्रशिक्षण लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।
- यह प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत सरकार, गृह मंत्रालय का एक महत्वाकांक्षी महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसमें किसी भी कार्मिक को एक बार प्रवेश देने के बाद प्रशिक्षण के बीच में वापस बुलाने/प्रशिक्षण बीच में छोड़कर जाने की किसी भी मांग को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- प्रशिक्षण से संबंधित अन्य वांछित जानकारी ई-मेल tsgahan-chti-dol@gov.in द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है।

भवदीय,

(ले.कर्नल रामनरेश शर्मा)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या-19013/1/2025-केहिप्रसं/967-1667 दिनांक : 13.10.25

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :

1. सचिव (राजभाषा) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी. भवन, नई दिल्ली-110001.
2. संयुक्त सचिव (राजभाषा) के निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी. भवन, नई दिल्ली-110001.
3. निदेशक (सेवा), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय एन.डी.सी.सी. भवन, नई दिल्ली-110001.
4. निदेशक (तकनीकी), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी. भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001.
5. निदेशक (अनुसंधान), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी. भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001.
6. निदेशक (प्रशिक्षण), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी. भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001.
7. निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।
8. संपादक, राजभाषा भारती, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी. भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001.
9. निदेशक (राजभाषा), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. उप निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, नई दिल्ली, मुम्बई, बैंगलुरु, कोलकाता, भोपाल, कोचीन, गुवाहाटी तथा गाजियाबाद।
11. उप निदेशक (भाषा)परीक्षा/मध्योत्तर/पूर्व/पूर्वोत्तर/दक्षिण/पश्चिम क्षेत्र, नईदिल्ली/कोलकाता/गुवाहाटी/चेन्नै/सिकंदराबाद तथा मुंबई।
12. सहायक निदेशक (टंकण पत्राचार), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली।
13. उप निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि) हिंदी शिक्षण योजना, मध्योत्तर/पूर्व-पूर्वोत्तर/दक्षिण-पश्चिम, नई दिल्ली/कोलकाता/नवी मुंबई।
14. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
15. सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि) एवं नोडल अधिकारी (वैबसाइट अपडेट) अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, के.हि.प्र.सं., नई दिल्ली को इस निदेश के परिपत्र को केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
16. सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, कोलकाता/बैंगलुरु/हैदराबाद तथा मुंबई।
17. सभी सर्वकार्यभारी अधिकारी, हिंदी शिक्षण योजना।
18. सभी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्ष।

(ले.कर्नल रामनरेश शर्मा)
निदेशक

अनुलग्नक-I

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली तथा कोलकाता, सिकंदराबाद, बेंगलुरु एवं मुंबई स्थित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप-संस्थानों में दिनांक 12.01.2026 से 04.12.2026 तक आयोजित किए जाने वाले हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि के अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण।

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम

I-हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथियां	प्रशिक्षण केंद्र का पता
1.	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	12.01.2026 to 10.03.2026	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान 2-ए, पृथ्वीराज रोड, (जे. एंड के. हाउस के सामने), नई दिल्ली -110 011
2.	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	23.03.2026 to 21.05.2026	
3.	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	01.06.2026 to 27.07.2026	
4.	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	10.08.2026 to 07.10.2026	
5.	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	08.10.2026 to 04.12.2026	

II-हिंदी आशुलिपि

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथियां	प्रशिक्षण केंद्र का पता
1.	हिंदी आशुलिपि	80 कार्यदिवस	10.08.2026 से 04.12.2026	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान 2-ए, पृथ्वीराज रोड, **(जे. एंड के. हाउस के सामने)**, नई दिल्ली -110 011

कोलकाता/सिकंदराबाद/मुंबई एवं बेंगलुरु स्थित उप संस्थानों में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम

I-हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथियां
1.	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	12.01.2026 to 10.03.2026
2.	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	23.03.2026 to 21.05.2026
3.	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	01.06.2026 to 27.07.2026

II-हिंदी आशुलिपि

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथियां
1.	हिंदी आशुलिपि	80 कार्यदिवस	10.08.2026 से 04.12.2026

विशेष टिप्पणियाँ

यदि किसी कारणवश किसी प्रशिक्षण केन्द्र पर हिन्दी आशुलिपि गहन प्रशिक्षण कक्षाएँ गठित नहीं हो पाती हैं तो उसके स्थान पर हिन्दी शब्द संसाधन/हिन्दी टंकण गहन प्रशिक्षण कक्षाएँ निम्नलिखित दो सत्रों के लिए गठित एवं संचालित की जायेंगी:-

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथियां
1.	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	10.08.2026 to 07.10.2026
2.	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	08.10.2026 to 04.12.2026

अनुलग्नक-II

1. सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि)
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय
2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली 110 011

दूरषाष 011-23793517
फैक्स 011-23018740, मो.नं. 7023666132/
9461009222
ईमेल -tsgahan-chti-dol@gov.in

उप संस्थानों के पते

1. सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि)
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप-संस्थान,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
कमरा नंबर-423,तीसरा तल,01,कौंसिल हाऊस स्ट्रीट,
कोलकाता-700 001

दूरभाष 033-22304062
मो. 7002900757
ईमेल chti1067@nic.in
ईमेल dhirajlaladhtsg@gmail.com

2. सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि)
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप-संस्थान,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
केंद्रीय सदन, छठी मंजिल, 'सी' विंग 601,
सैक्टर-10, सीवीडी, बेलापुर,
नवी मुंबई-400 614

दूरभाष 022-20871904/27565416
फैक्स 022-27565417
मो. 9990218203
ईमेल-chti1080-chti@gov.in

3. सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि)
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप-संस्थान,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
चौथा तल, कमरा नंबर-403,
सी.जी.ओ. टॉवर्स, कवाड़ीगुड़ा,
सिकंदराबाद-500 080

दूरभाष 040-24767755/27532299/27537211
फैक्स 040-27538866
मो. 7907638288, 7736365909
E-mail- chti1068@nic.in
ईमेल-kumarsantoshnfc0788@gmail.com

4. सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि)
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप-संस्थान,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
'बी' विंग, 5वां तल,
केंद्रीय सदन, कोरमंगला,
बेंगलुरु - 560034

दूरभाष 080-25537089
मो. 08310869315
ईमेल-chti1064@nic.in

ऑनलाइन फीस जमा करने के स्टैप्स

स्टेप-1

सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट www.onlinesbi.com ओपन करें, फिर STATE BANK COLLECT उप-शीर्षक पर जाएँ।

अथवा

भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट www.onlinesbi.com के मुख्य शीर्षक STATE BANK OF INDIA पर क्लिक करें, फिर STATE BANK COLLECT नामक उप-शीर्षक पर क्लिक करें एवं सभी शर्तों को स्वीकार करें।

↓

स्टेप-2

STATE OF CORPORATE/INSTITUTION में ALL INDIA का चयन करें, उसके बाद TYPE OF CORPORATE/ INSTITUTION में GOVERNMENT DEPARTMENT चुनें एवं GO पर क्लिक करें।

↓

स्टेप-3

GOVTERNMENT DEPARTMENT का नाम वाले कॉलम के पुल-डाउन मेन्यू से HINDI TEACHING SCHEME, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE MHA का चयन करें।

↓

स्टेप-4

SELECT PAYMENT CATEGORY में HINDI TEACHING SCHEME को चुनें, अब एक फार्म खुल जाएगा।

↓

स्टेप-5

फार्म को भरने के बाद SUBMIT करें, फिर अपने भरे हुए विवरण को CONFIRM करके PAYMENT करें।

↓

स्टेप-6

PAYMENT करने के बाद RECEIPT के प्रिंट की प्रति उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, पूर्वी खंड-7, लेवल-6, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 को भेजना अनिवार्य है।